महत्वपूर्ण एवं खास

शिकार के लिए बिछाए तार से तीन भैंसों की मौत

महासमुंद (आरएनएस)। पटेवा क्षेत्र के वन विकास निगम के माधवपुर जंगल में बुधवार रात जानवरों का शिकार करने के लिए बिछाए गए बिजली तार की चपेट में 3 भैसों की मौत हो गई। गुरुवार सुबह जब ग्रामीणों को पता चला तो इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विकास निगम के अधिकारियों ने पंचनामा व मवेशियों का पीएम कराकर मालिक को सौंप दिया है। पटेवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वन विकास निगम के हेमंत परमार ने बताया कि जंगल में अज्ञात ने शिकार के लिए करंट प्रवाहित तार बिछाई थी। जिसके संपर्क में आने से 3 मवेशी की मौत हो गई। सूचना पर टीम वहां पहुंची। तब ग्रामीणों ने करंट लगने से मौत होने की जानकारी दी। मृत तीनों मवेशी ग्राम उलबा के किसान की है।

दंतैल से सामना, बाइक छोड़ भागा

महासमुंद (आरएनएस)। लहंगर के कोसमनाला के पास गुरूवार शाम दोपहिया सवार अधेड़ का दंतैल से सामना हो गया। हाथी को देख अधेड़ ने दोपहिया वहीं छोड़ भाग कर जान बचाई। जानकारी के अनुसार तुमगांव गाड़ाघाट निवासी परानु ध्रुव अपनी बहन के घर लहंगर कार्यक्रम में शामिल होने गया था। जहां से शाम 6 बजे घर जाने के लिए निकला, तभी कोसमनाला के पास हाथी को देख उसके होश उड़ गए और दोपहिया वहीं छोड़ गांव की ओर भागा। गांव के लोगों ने गजराज वाहन को बुलाई। इधर, हाथियों के दल ने मोहकम में बाडियों में घुसकर रामस्वरूप, तिरीथ राम, जेठूराम, मंगलीन बाई, घनश्याम ध्रुव और चोवाराम ध्रुव के बाड़ी को तहस-नहस कर दिया और धान को खा कर नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का दल रात में पहुंचा था।

भैरमगढ़ वन परिक्षेत्र में मिला मृत भालू

बीजापुर (आरएनएस)। भैरमगढ़ वन परिक्षेत्र में शनिवार की सुबह एक भालू की मौत बिजली के करेंट से होने की आशंका जताई जा रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भालू वहां स्थित एक पेड़ में बने मधुमखी के छत्ते के लिए चढ़ा होगा। इसी दौरान भालू पेड़ से लगे बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया होगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई होगी। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके के लिए रवाना हो चुके है। तथ्यों की जांच के बाद ही भालू के मौत के कारण की सही जानकारी मिल सकेगी।

चाकू लेकर घुमता युवक पकड़ाया

रायपुर (आरएनएस)। कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार की शाम को नेहरू नगर शराब दुकान के पास हरीश ताण्डी 27 वर्ष को अवैध रूप से चाकू लेकर घुमते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स 25 के तहत कार्रवाई की गई।

अज्ञात व्यक्ति की मिली लाश

» पुलिस जांच में जुटी

रायपुर (आरएनएस)। शहर के माना थाना क्षेत्र के ग्राम बरोदा में खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर की शाम को बरोदा गांव के ग्रामीणों ने एक खेत में एक व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार लाश दो-तीन दिन पुरानी है जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो पायी है। मृतक की हत्या की गई है या फिर अन्य किसी कारण से उसकी मौत हुई है इसका पता पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। फिलहाल पुलिस मामले में मर्ग कायम किया है।

आधी रात ट्रांसफार्मर से जा टकराई थी युवक की तेज रफ्तार बाइक, ईलाज के दौरान मौत

अंबिकापुर। शहर में शुक्रवार की देर रात दिल दहलाने वाले सडक़ हादसा हुआ। अपने घर जा रहा तेज रफ्तार बाइक सवार गुदरी चौक के समीप विद्युत ट्रांसफार्मर में जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक का शरीर विद्युत खंभे में पेट के बल लटक गया तथा उसकी बाइक नाली में जा गिरी। मौके से गुजर रहे राहगीरों ने निजी वाहन से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान अलसुबह उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से उसके परिजनों में मातम पसर गया है।

अंबिकापुर के डीसी रोड निवासी

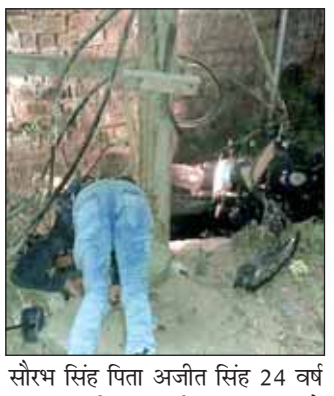

सौरभ सिंह पिता अजीत सिंह 24 वर्ष शुक्रवार की रात करीब 11.30 बजे विजय मार्ग से होकर अपनी एवेंजर बाइक से तेज रफ्तार में घर जा रहा था। वह गुदरी चौक के पास पहुंचा ही था कि बाइक अनियंत्रित होकर विद्युत ट्रांसफार्मर से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक विद्युत खंभे में ही पेट के बल लटक गया।

उसके सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आई थीं। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे युवकों ने उसे अपनी कार से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया।

मौत की ये तस्वीर देख दहल उठेगा दिल, आधी रात ट्रांसफार्मर से जा टकराई थी युवक की तेज रफ्तार बाइक

सूचना मिलते ही उसका चचेरा भाई आरक्षक अमरेश सिंह भी वहां पहुंचा और घरवालों को हादसे की सूचना दी। इधर इलाज के दौरान शनिवार की सुबह करीब 5 बजे युवक ने दम तोड़ दिया।

परिजनों में पसरा मातम

हादसे की सूचना पर रात में ही घायल युवक के परिजन अस्पताल पहुंच गए। यहां आईसीयू में भर्ती कर उसका इलाज चल रहा था। सुबह जैसे ही उसकी मौत की खबर डॉक्टरों ने दी, परिजनों में कोहराम मच गया।

उनके रोने का ठिकाना न रहा। दोपहर को युवक का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। हादसे में युवक की मौत से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।

कंपनी की ट्रेनिंग के लिए आयी युवती से होटल में रेप, जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के एक होटल में ठहरी युवती के साथ एक युवक द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया है। घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र की है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती अपनी अन्य सहेलियों के साथ एक कंपनी की ट्रेनिंग के लिए रायपुर आयी थी और यहां एक होटल में ठहरी हुई थी। बताया गया है कि आरोपी वरून नायक पिता गोपाल (32) निवासी सकरी बिलासपुर भी उसी होटल में ठहरा हुआ था जहां पीड़ित युवती ठहरी थी। 12 दिसंबर की रात करीब 11 बजे आरोपी युवती के कमरे में उसे अकेला पाकर जबरन घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराई, एक युवक की मौत

बिलासपुर (आरएनएस)। जिले के बूढ़ीखार के पास एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गया। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद मौके पर कार सवार एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया।

जानकारी के अनुसार बूढ़ीखार के पास मोड़ पर कार अनियंत्रित हो गया। वहीं, पेड़ से टकराने के बाद कार में सवार एक युवक को गंभीर चोटे आई। स्थानीय लोगों ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने युवक के मौत की पुष्टि की। हादसे के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

फिलहाल अभी तक हादसे को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। मृतक युवक का नाम पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

इंजेक्शन लगाने के बाद फिर एक महिला की मौत, अस्पताल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के समता कालोनी में एक्सपायरी डेट की इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत को अभी सप्ताहभर ही बीता था कि उरला क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल में फिर एक महिला की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत होने की घटना प्रकाश में आयी है।

उरला थाना पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका गीता बाई धृतलहरे (28) निवासी उरला की घर में तबीयत बिगड़ने के बाद उसके पति चंद्रशेखर ने उसे उरला क्षेत्र में ही स्थित उबारन दास करसायल के अस्पताल में इलाज के लिए गया था। यहां उबारनदास द्वारा गीता को इंजेक्शन लगाया गया, जिसके

लगाने के बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी। जिसके बाद उबारन दास ने चंद्रशेखर को गीता को नारायण अस्पताल देवेन्द्रनगर ले जाने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि नारायण अस्पताल पहुंचने के बाद वहां के चिकित्सको ने गीता को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 304 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले की जांच जारी है।

दूसरे के नाम से टोकन कटा कर धान खपाने की तैयारी में,पकड़ा गया तो धान छोड़कर भागा

बलौदाबाजार। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर आज कसडोल तहसीलदार सिन्हा द्वारा धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया।जिसमें बया धान खरीदी केंद्र में निरजंन लाल पटेल,गाँव चेचरापाली निवासी के द्वारा हीरालाल गोंड़ के नाम से 1.590 हेक्टेयर कृषि भूमि का टोकन कटवाया गया था। किसान से पूछताछ पर उसने बताया कि उसके द्वारा किसी आदिवासी जमीन का क्रय किया गया है। लेकिन आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा पाने के कारण उसकी ऋण पुस्तिका जब्त कर ली गयी। उसी तरह धान खरीदी केंद्र गोलाझर में सूरज अग्रवाल नाम के व्यापारी ने जगदीश गोंड़ के नाम से 200 बोरी का टोकन कटावाया था। साथ ही एक अन्य किसान देवधर नायक के घर से भी 88 कट्टा बोरी धान जगदीश गोंड़ के घर में लाया गया था। पूछताछ में सही जानकारी नहीं मिलने पर ट्रैक्टर सहित अवैध धान को जब्त कर लिया गया और राजादेवरी थाने सुपुर्द कर दिया गया।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा की ली जानकारी

रायपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने आज रायपुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के जिला पंचायत भवन और महिला एवं बाल विकास विभागे पहुंचकर व्यय लेखा और निर्वाचन संबंधी कार्यों की जानकारी ली ।

इस अवसर पर व्यय लेखा की नोडल अधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती पदमिनी भोई तथा सहायक नोडल अधिकारी और सँयुक्त संचालक वित्त मोहम्मद इमरान तथा व्यय लेखा संप्रेक्षको ने बताया कि रायपुर नगर निगम के लिए 16 व्यय संप्रेक्षक बनाये गए है। ठाकुर राम सिंह ने अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत व्यय लेखा का मुआयना किया और मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करने पहुचे एक अभ्यर्थी से बातचीत भी की। लेखा संप्रेक्षको ने बताया गया कि नगर निगम रायपुर के 70 वार्डों में 425 अभ्यर्थी हैं । व्यय लेखा के संबंध में अभ्यर्थियों की बैठक हो चुकी है। पहले दौर में नियत तारीख तक 351 अभ्यर्थियों ने अपना व्यय लेखा जमा कर दिया है । शेष सभी 74 ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होने व्यय लेखा जमा नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी की गई है । नोटिस के बाद 7 अभ्यर्थियों ने व्यय लेखा जमा कर दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसके बाद 18-19 दिसम्बर को दूसरे दौर का व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना है तथा निर्वाचन के एक माह के भीतर व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना है।

बस की टक्कर से आरक्षक की मौत, हवलदार गंभीर

जगदलपुर (आरएनएस)। भारत ट्रेवल्स की बस ने बाइक सवार दो पुलिस के जवानों को ठोकर मार दी। इस हादसे में एक आरक्षक की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं हवलदार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद बस पलट गई, जिसमें बस चालक को भी गंभीर चोट लगी है।

मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना लगभग रात्रि 07 बजे हुई है। बकावंड चौकी में ही पदस्थ सुभाष विश्वास जो अपने आरक्षक ढलेश्वर के साथ किसी मामले की जांच करने के लिए बाइक पर सवार होकर निकले थे, इसी दौरान जगदलपुर से बकावंड की ओर जा रही बस क्रमांक सीजी 04 जेड बी 1751 ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से बाइक क्रमांक सीजी 17 एस 5945 को पीछे से ठोकर मार दी। इस घटना में आरक्षक ढलेश्वर की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं हवलदार सुभाष विश्वास गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई, बस ड्राइवर को भी गंभीर चोट लगी है।

जिले में अब तक 44 हजार 141 बोरा धान जब्त

» आज पांच प्रकरण पर हुई कार्यवाही

महासमुन्द (आरएनएस)। जिले में धान के अवैध रूप से भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम के लिए कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश पर निगरानी दलों द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। निगरानी दलों की कार्यवाही में अब तक कोचिए एवं बिचौलिए के साथ धान के अवैध परिवहन और भण्डारण के 299 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिसके अंतर्गत 44 हजार 141 बोरे धान 17 हजार 660.8 क्विंटल धान जब्त किया गया है।

जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि धान के अवैध परविहन एवं भण्डारण के लिए की गई कार्यवाही में आज पांच प्रकरण दर्ज किए गए वहीं 412 बोरे धान अर्थात 164.8 क्विंटल धान जब्त किए गए।

धान के अवैध भण्डारण एवं परिवहन में लगे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई उनमें राजकुमार कुम्भकार बनपचरी विकासखंड महासमुन्द से 30 कट्टा (12 क्विंटल) धान दुबेसाय पिता संतराम साय चिमरकेल विकासखंड बसना- 30 कट्टा (12 क्विंटल) धान, विनय दुबे (श्यामजी ट्रेडर्स सांकरा) विकाखंड पिथौरा से 50 कट्टा (20 क्विंटल) धान भरत प्रधान ग्राम सल्डीह विकासखंड पिथौरा से 200 कट्टा (80 क्विंटल) धान बंशीलाल ग्राम चिवराकुंटा विकासखंड सरायपाली से 102 कट्टा (40.80 क्विंटल) धान जब्त किया गया।

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु आवेदन 16 दिसम्बर तक

रायपुर। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु प्रशिक्षण संस्थान में स्थापित निर्वाचन कर्तवय मतपत्र काउंटर में आवेदन प्रारूप-19, डयूटी आदेश एवं वोटर आई.डी. की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत कर सकते है। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु आवेदन कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित उप संचालक, कृषि के मीटिंग हॉल में भी कार्यालयीन समय में भी प्रस्तुत किये जा सकते है। इस हेतु आवेदन 16 दिसम्बर को शाम 05 बजे तक लिया जाएगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं मार्गदर्शन बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता फैल करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल मिशन पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

गांजा तस्करी आरोपी को चार वर्ष का कारावास

कोरबा (आरएनएस)। गांजा तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपी को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चार वर्ष कठोर कारावास एवं 3हजार रूपए अर्थदंड का फैसला सुनाया है । अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने की दशा में अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला कुसमुंडा थाना अंतर्गत आदर्श नगर चुनचुनी का है। विगत 6 सितम्बर 2018 को कुसमुंडा पुलिस ने आदर्श नगर चुनचुनी कॉलोनी के आवास क्रमांक एम 1219 में निवासरत चैनदास 65 वर्ष पिता छेडूदास को 1 किलो 650 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था। चैनदास स्कूटी क्रमांक सीजी 12 एटी 7027 में गांजा लेकर उसे खपाने चुनचुनी की ओर आया था। मुखबीर की सूचना पर तात्कालिक कुसमुंडा थाना प्रभारी विजय चेलक ने चुनचुनी में अपने हमराह स्टाफ के साथ घेराबंदी कर ग्राहक की तलाश कर रहे गांजा तस्कर चैन दास को पकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि जिस स्कूटी में गांजा खपाने निकला था वह अजय सारथी की थी। वैध दस्तावेज के अभाव में पुलिस ने गांजा तस्कर चैनदास के खिलाफधारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर स्कूटी व उसमें रखे गए 1 किलो 650 ग्राम को गांजा को जब्त किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया था । मामले की सुनवाई प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार प्रधान न्यायालय में चल रही थी। जिसपर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने एवं कुसमुंडा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी चैनदास को चार वर्ष कठोर कारावास एवं 3 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने की दशा में अभियुक्त को पृथक से तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी 7 सितम्बर 2018 से जेल में निरूध्द है। विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। प्रकरण के अन्य अभियुक्त अजय कुमार सारथी के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध प्रकरण का विचारण पृथक से

करने का आदेश दिया गया है। उक्त संपत्ति के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अपील होने पर न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जाएगा। मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक अधिवक्ता रोहित राजवाड़े एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुनील यादव एवं अधिवक्ता आनंद शर्मा ने पैरवी की।